राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट2018

(3)

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत प्रतापपुरा प्रार्थना–पत्र सं. 100/2014 उनवान सुमन बनाम सुनील वगैरह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ. आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 जाप्ता. दीवानी .	राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान–2018
14.06.2018	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी मे से कोई भी उपस्थित नही आया। पत्रावली का न्यायालय मत पर अवलोकन किया गया। पाया की अप्रार्थी न. 1 से 3 दिनांक 13.04.2015 से जवाब मे विचाराधीन है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को कुल 17 जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये जा चुके है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नही करने पर उनका जवाब प्रार्थना–पत्र बन्द किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16.04.2014 को ताः फैसला दावा बढाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा तक पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र मे वर्णित भूमि का विक्रय नही करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अलका बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राजस्थान)	

Scanned by CamScanner